तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	19/07/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गयी। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील बहस सुनी। प्रार्थना पत्र, पत्रावली व तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हो अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लैंड रेवन्यू एक्ट स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली कौशलकुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

19/7/25

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या:- 122/2024 (विविध)
प्रकरण दायर दिनांक:-07.10.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक:-19.02.2025

उनवान

1. रंगलाल
2. रामकुवार
3. जगदीश

पिसरान रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी सुमेल खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा

:- प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील बॉदीकुई जिला दौसा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लै0 रे0 एक्ट

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट इस आशय का पेश किया के ग्राम सुमेल खुर्द पटवार हल्का देलाडी तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला के खाता संख्या नया 25 पुराना 27 जिसके आराजी खसरा नंबर 359, 360, 383,कुल किता रकबा 0.68 हैक्टेयर स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के पिता परस्या ामसुखा हिस्सा 1/2 है तथा अन्य हिस्सेदार प्रत्येक का पृथक् से हिस्सा अनुसार दर्ज र काश्तकार का अंकन दर्ज है। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि जिसके साबिका खसरा नंबर रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा है नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबंध विभाग संवत् 2052–2071 पत्र के साथ पेश है। विगत सेटलमेन्ट से पूर्व प्रार्थीगण के पिता का रिकॉर्डेड नाम ाप पुत्र रामसुखा कौम गुर्जर साकिन सुमेल खुर्द दर्ज रहा है जिसकी पुष्टिगत चौसाल दी संवत् 2039–2042 से स्पष्ट रूप से होती है। दौराने सैटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान । कर्मचारियो की लापरवाही एवं सहवन से प्रार्थीगण के पिता रामप्रताप पुत्र रामसुखा के पर परस्या पुत्र रामसुखा दर्ज कर दिया गया जो कि पूर्ण रूपेण शुरू से ही त्रुटि पूर्ण एवं है। प्रार्थीगण के पिता के नाम की अशुद्धि सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान हुयी है जिसे ण दुरूस्त करवाने के विधिक अधिकारी है। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता ाक् से 1/2 हिस्सा है परंतु वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के पिता का नाम परस्या ामसुखा दर्ज किया हुआ है जो कि पूर्णरूपेण अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है सेटलमेन्ट से पूर्व त भूमि के राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2039–2042 में प्रार्थीगण के पिता का नाम ाप पुत्र रामसुखा दर्ज चला आ रहा है उक्त त्रुटि सेटलमेन्ट के दौरान हुयी है। प्रार्थीगण

४५६-

पने पिता के अशुद्ध त्रुटिपूर्ण नाम परस्या पुत्र रामसुखा के स्थान पर रामप्रताप पुत्र रामसुखा ौम गुर्जर दुरूस्त करवाना चाहता है जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत है।

वादग्रस्त भूमि एवं फरीकेन न्यायालय क्षेत्र में स्थित होने से न्यायालय हाजा को र्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार हासिल है।सेटलमेन्ट के दौरान हुई त्रुटि दुरूस्ती के लिए विधि ारा कोई समय सीमा निश्चित नहीं होने से प्रार्थना पत्र अंदर मियाद पेश है। अतः वादीगण जस्व अभिलेख जमाबंदी ग्राम सुमेलखुर्द खाता संख्या नया 25 पुराना 27 में प्रार्थीगण के पिता रस्या पुत्र रामसुखा कौम गुर्जर के स्थान पर रामप्रताप पुत्र रामसुखा कौम गुर्जर का अंकन किया ाकर दुरूस्ती फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। प्रकरण में इसीलदार बांदीकुई को जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में इसीलदार बांदीकुई से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील को सुना गया। र्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एव पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व प्राप्त जॉच रिपोर्ट का अवलोकन या गया। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के अनुसार जमाबंदी खाता संख्या 36, 21, 8 के ाबिक जमाबंदी खाता संख्या 25 में उनवान रंगलाल, रामकुंवार, जगदीश पिसरान रामप्रताप ाति गुर्जर निवासी सुमेल खुर्द किया जाना उचित है। संलग्न पत्रावली में सरपंच ग्राम पंचायत ाडी, आधार कार्ड एवं गत जमाबंदी शामिल है जिसमें भी वल्दियत परस्या के स्थान पर मप्रताप पाया गया। अतः नियमानुसार शुद्ध किया जाना उचित है।

तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो के ुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता परस्या पुत्र रामसुखा कौम गुर्जर के स्थान पर मप्रताप पुत्र रामसुखा कौम गुर्जर किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता कि राजस्व जमाबंदी संवत 2074–77 खाता सं. नया 25 पुराना 27 कुल किता 3 कुल रकबा 6800 हैक्टे परस्या पुत्र रामसुखा राजस्व जमाबंदी में उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत ाती है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार या जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी वकील की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर ार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता ै तथा ग्राम सुमेलखुर्द राजस्व जमाबंदी संवत 2074–77 खाता सं. नया 25 पुराना 27 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6800 हैक्टे में परस्या पुत्र रामसुखा के स्थान पर रामप्रताप पुत्र रामसुखा जाति गुर्जर सा. देह खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner